संख्या-6/2025/880/सैतालीस-का-1-2025-13(2)/2025

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2025**

विषयः- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष, चयन की कार्यवाही संपन्न कर लिये जाने के उपरांत पदोन्नति /तैनाती के आदेश ससमय निर्गत किया जाना।

महोदय,

प्रदेश के समस्त विभागों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही ससमय से ससंपन्न न कराये जाने की दशा में पदों के भरने में अनावश्यक विलम्ब होने के फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होने एवं संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत चयन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराये जाने के लिए चयन वर्ष 2025-26 के संबंध में शासनादेश संख्या 2/2025/529/सैतालीस-का-1-2025-13(1)/2022 दिनांक 02 जुलाई 2025 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए है।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा रिक्तियो के सापेक्ष **चयन की कार्यवाही कर लिये जाने के पश्चात रिक्ति की उपलब्धता होते हुए भी पदोन्नति के आदेश ससमय निर्गत नहीं किये जा रहे है।** कतिपय मामलों में पदोन्नति के आदेश तो निर्गत कर दिये जाते है किन्तु रिक्ति के सापेक्ष उपलब्ध पद पर पदोन्नति कार्मिक की तैनाती समय से नही की जा रही है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं कही जा सकती है क्योंकि इससे एक ओर जहां पद न भरने से संस्थाहित प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर पदोन्नत कार्मिक को ससमय पदोन्नत करते हुए पद पर तैनाती न किये जाने से उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। कतिपय मामलों में ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो रही है कि पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती आदेश निर्गत होने से पूर्व ही संबंधित कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाता है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली किसी भी रिक्ति के सापेक्ष नियमानुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न कर लिये जाने के उपरान्त, पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक की, रिक्ति की उपलब्धता होने पर ससमय पदोन्नति आदेश निर्गत करते हुए सम्बन्धित पद पर तैनाती की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

4- उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या- 880(1)/सैतालीस-का-1-2025-13(2)/2025, तद्दिनाक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in